

आ/ पुनर्स्थापन/ रीवा/ 2017/ 2667

150

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर



Rs. 201-

कमलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी तनय स्व० रामकिशोर त्रिपाठी, निवासी ग्राम सगौनी, थाना व तह० रामपुर बाघेलान, जिला सतना म०प्र०

आवेदक

बनाम

रामबहोर सिंह तनय श्री वंशरूप सिंह निवासी ग्राम सगौनी तह० रामपुर बाघेलान, जिला सतना म०प्र०

अनावेदक

अधिवक्ता श्री धर्मराज पाण्डेय
द्वारा पेशा 9.8.17

आप को
मध्यप्रदेश
राजस्व मण्डल

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध सीमांकन कार्यवाही दिनांक 27.06.2017 प्र०प्र० 64अ-12/13-14 आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म०प्र०भू राजस्व संहिता बावत् पुनर्स्थिति किये जाने पुनरीक्षण याचिका जो दिनांक 25.05.2017 को अदम पैरबी में निरस्त की गई है। R428-III

मान्यवर


आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि आवेदक के द्वारा विचाराधीन पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर के सर्किट कोर्ट रीवा में प्रस्तुत कर रखा था जिसमें कई पेशिया दायरा दर्त हेतु रीवा में पदस्थ रीडर द्वारा दी जाती रही किन्तु माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के सदस्य उपरोक्त नियत तारीखों पर नहीं पधारे इसी क्रम में प्रकरण में दिनांक 25.05.2017 की तारीख रीवा सर्किट कोर्ट के संबंधी रीडर द्वारा प्रदत्त की गई है जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं थी। क्योंकि इसके पूर्व की तारीख को उसके अधिवक्ता श्री

कमलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक 111/पुर्नस्थापन/रीवा/2017/2667

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	<p>राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 428-तीन/ 2015 निगरानी पक्षकार एवं उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने से आदेश दिनांक 25-5-17 से अदम पैरबी में निरस्त किया गया है, जिसके पुर्नस्थापन हेतु यह आवेदन म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(3) के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है।</p> <p>2/ पुर्नस्थापन आवेदन में दर्शाए गए बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पुर्नस्थापन आवेदन में दर्शाए गए तथ्य समाधान-कारक प्रतीत होने से प्रकरण क्रमांक 428-तीन/ 2015 निगरानी पुर्नस्थापित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति प्रकरण क्रमांक 428-तीन/ 2015 निगरानी में योजित करते हुये यह प्रकरण अँक से कम किया जावे एवं रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।</p> <p style="text-align: right;"> अदस्य</p>	